न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 25 / 2025(GCMS 2025/140)

श्री संदीप सिंह गांव 9 पीटीडी–बी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 72310–48490)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप सिंह स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढत्र को 08.07.2022 को जीएसएसएस बाण्डा कॉलोनी (212262) के प्रधानाचार्य की शिकायत दर्ज करवाई थी जिसकी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय की जांच कमेटी बनाई थी जांच कमेटी द्वारा कि जांच रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करवाये।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/2025/486 दिनांक [illegible].05.2025 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना [illegible] अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भि[illegible]वे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.06[illegible]25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर